न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 79 / 2020 राजस्व अपील

1. मोहनलाल पुत्र नारायण जाति बैरवा निवासी ग्राम रायपुरा तहसील सिकराय जिला दौसा।

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार सिकन्दरा तहसील सिकराय जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 31.08.2020 उप तहसीलदार सिकन्दरा तहसील सिकराय अन्तर्गत मु. नं. 240 / 2020 उनवनी प्रकरण सरकार बनाम मोहनलाल एल. आर. एक्ट

उपस्थिति : श्री ऋद्धिचन्द शर्मा अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।
: पैरोकार सरकार उपस्थित।

:- निर्णय :-

दिनांकः 26.03.2021

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का रायपुरा तहसील सिकराय ने अपीलान्ट के खिलाफ एक रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिकन्दरा के समक्ष इस आशय की पेश की कि अपीलान्ट ने ग्राम रायपुरा तहसील सिकराय में स्थित आराजी भूमि खसरा नं. 117 रकबा 0.25 है. किस्म चरागाह पर सम्वत 2077 खरीफ मे काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। पटवारी हल्का की उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिकन्दरा ने अपीलान्ट को कोई सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय की रिपोर्ट के आधार पर धारा 91 एल. आर. एक्ट के तहत दोष सिद्ध होने पर 60 दिवस के सिविल कारावास की सजा व 50 गुना शास्ति से दण्डित किये जाने का निर्णय दिनांक 31.08.2020 को पारित कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिकन्दरा के निर्णय दिनांक 31.08.2020 के विरूद्ध यह अपील न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया एवं अतिक्रमण से सम्बन्धित वर्तमान मौका रिपोर्ट तलब की गई तत्पश्चात् बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय की सामान्य प्रक्रियाओं के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सही प्रकार से विवेचन नहीं करके निर्णय पारित कर कानूनी गलती की है। अपीलान्ट के विरूद्ध किसी भी प्रकार के जुर्म के कोई साक्ष्य नहीं होने के बावजूद भी अपीलान्ट को दोषी मानते हुए दण्डित किया है। अपीलान्ट की आज तक कोई तामील नहीं हुई है ना ही अपीलान्ट उक्त प्रकरण में कभी हाजिर हुआ परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की हाजिरी दर्शा रखी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का

अति० जिला कलक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कोई मौका नहीं दिया गया एवं मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया है जो कि आरबीट्रेरी व कैप्रिशियस है। अपीलान्ट ने किसी भी राजकीय भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है। अपीलान्ट को पटवारी हल्का से जिरह का अवसर भी नहीं दिया गया है। अपीलान्ट ने ग्राम रायपुरा तहसील सिकराय के भूमि खसरा नं. 117 रकबा 0.25 है. पर से अपना कब्जा हटा लिये जाने एवं भविष्य में सरकारी भूमि पर कब्जा नहीं किये जाने सम्बन्धी शपथ पत्र प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 31.08.2020 को अपास्त किये जाने के आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया।

जवाब बहस के दौरान पैरोकार सरकार ने निवेदन किया कि अपीलान्ट ने ग्राम रायपुरा तहसील सिकराय में स्थित गै. मु. नले की भूमि खसरा नं0. 117 रकबा 0.25 है. पर बाजरे की काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर शास्ति आरोपित कर अपीलान्ट अतिकमी को अतिकमित आराजी से दिनांक 31.08.2020 को बेदखल कर 60 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी भी है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमणशुदा भूमि पर से कब्जा हटा लिये जाने सम्बन्धी शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर अतिक्रमण हटाये जाने के सम्बन्ध में मौका रिपोर्ट उप तहसीलदार सिकन्दरा से प्राप्त की गई। उपतहसीलदार सिकन्दरा की वर्तमान मौका रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट ने ग्राम रायपुरा के आराजी खसरा नं. 117 रकबा 0.25 है. पर से अतिक्रमण नहीं हटाया है। मौके पर वर्तमान में अपीलान्ट ने अतिक्रमण किया हुआ है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिकन्दरा द्वारा मुकदमा नम्बर 240 / 2020 सरकार बनाम मोहनलाल में पारित निर्णय दिनांक 31.08.2020 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 26.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official